बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

इसलिए, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 एवं 62(2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार राज्य में निबंधित सभी कारखानाओं के लिए राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के लिए धारा 65 की उपधारा (3) की कंडिका (i) एवं (iii) के प्रावधानों में निम्न शर्तो के साथ छूट दिया जाना विनिर्दिष्ट करती है :–

01. किसी भी व्यस्क कर्मकार से किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा।
02. किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जाएगा एवं कोई भी कर्मकार 6 घंटे से अधिक कार्य नही करेगा जब तक कि इसे 30 मिनट का विश्राम न दिया गया हो।
    प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा

संचिका संख्या–1/एफ1–103/2020 श्र० सं० – 1218   पटना, दिनांक– 09.05.2020

बिहार राज्यपाल के आदेश से
9.5.2020
(सुधीर कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

एस० ओ०   दिनांक   का अंग्रेजी भाषा में

निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

संचिका संख्या–1/एफ1–103/2020 श्र० सं० – 1219   पटना, दिनांक– 09.05.2020

बिहार राज्यपाल के आदेश से
9.5.2020
(सुधीर कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

[hosted at sacw.net archive]

Scanned by CamScanner

Letter No.-1/F1-110/2019 LR-

Government of Bihar

Labour Resources Department

From,

Sudhir Kumar, IAS

Additional Chief Secretary

Labour Resources Department.

Bihar, Patna.

To,

Shri Heera Lal Samariya, IAS

Secretary, Labour and Employment,

Government of India

Patna, Dated-

Subject :- Regarding Labour Reforms in the wake of Covid-19 Pandemic.

Ref:- D.O. No.-Z-20025/34/2015-LRC (Pt)

Sir

With Reference to the subject mentioned above, I would like to bring it to your kind notice that a high level meeting under the chairmanship of Chief Secretary, Bihar was held on 08-05-2020.

In the meeting, decision was taken to amend Labour Laws, where ever it is necessary. It was also decided to issue necessary order regarding increasing working hours from 08 to 12 in a day under section -5 of the Factories Act to address Covid-19. Necessary notification under section-5 of the Factories Act, 1948 has already been issued and a copy of the notification is hereby enclosed.

The department has already initiated a process to promulgate an ordinance to amend relevant sections of various labour acts.

Sincerely,

(Sudhir Kumar)

Additional Chief Secretary

Copy to: Letter no.---1/F1-110/2019 LR-08 dated - 09.05.2020

1. Shri Chanchal Kumar, Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister for necessary action and information.

9.5.2020

(Sudhir Kumar)

[hosted at sacw.net archive]

Scanned by CamScanner